माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के द्वारा दिनांक 20.06.2016 की बैठक में दिये गये निदेशों के अनुपालन हेतु दिनांक 26.07.2016 को 12.00 बजे अपराह्न में सचिव, पथ निर्माण विभाग की अध्यक्षता में आहूत बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :–

1. सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना
2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना
3. मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार (या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना
4. मुख्य अभियंता, रा० उ० प० उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना
5. मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरुपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना
6. महाप्रबंधक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लि०, बिहार, पटना
7. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, बिहार, पटना
8. कार्यपालक अभियंता (योजना सूत्रण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

बैठक की कार्यवाही :–

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के द्वारा दिनांक 20.06.2016 की बैठक में दिये गये निर्देश के अनुपालन हेतु सचिव, पथ निर्माण विभाग की अध्यक्षता में आहूत बैठक में विस्तृत विचार विमर्श के बाद निम्न बिन्दुओं पर सहमति बनी :–

1. सभी उपभाग के मुख्य अभियंता, प्रबंध निदेशक, BRPNNL एवं मुख्य महाप्रबंधक, BSRDCL यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य की सभी योजनाओं हेतु D.P.R/Estimate बनाने वाले Executive Engineer/Consultant/Agency ही Design Stage/construction stage/operation stage में Road Safety Audit अलग से करवाकर उसका Report मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरुपण संगठन को सौपेंगे।
2. यह सहमति बनी कि सभी मुख्य अभियंता, प्रबंध निदेशक, BRPNNL एवं मुख्य महाप्रबंधक, BSRDCL यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्माणाधीन परियोजनाओं (10 करोड़ से उपर सहित) के Project Completion Report (PCR) में भी Design Stage, Construction Stage एवं Operation Stage हेतु किये गये Road Safety Audit का Compliance Report अलग से समर्पित किया गया हो।
3. सभी निर्माणाधीन योजनाओं हेतु सभी मुख्य अभियंता, प्रबंध निदेशक, BRPNNL एवं मुख्य महाप्रबंधक, BSRDCL DPR एजेंसी से ही Road Safety Audit करवाकर प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरुपण संगठन को उपलब्ध करायेंगे एवं Road Safety Audit के findings/recommendations का अनुपालन IRC के guidelines के अनुसार चालू परियोजनाओं में कार्य कराने वाले कार्यपालक अभियंता के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. सभी Road Junctions के improvement तथा speed calming measures हेतु IRC guidelines के अनुसार Rumble Strip, Directive & Mandatory Signages, Speed Zone marking, Zebra crossings तथा Informatory signages, OPRMC के प्रावधान के अंतर्गत ही करा लिया जायेगा।

(कृ०पृ०उ०)

5. मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरुपण संगठन की अध्यक्षता में Hon. Supreme Court Committee on Road Safety के द्वारा दिये गये निदेशों के Compliance हेतु एक बैठक दिनांक 19.08.2016 को की जायेगी जिसमें संबंधित सभी उपभागों/निगमों के अधीक्षण अभियंता कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन के साथ भाग लेगें।
6. सभी उपभागों/निगमों के सभी मुख्य अभियंताओं को अपने उपभाग से संबंधित सभी पथों का Road Safety Audit Report मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरुपण संगठन को 25 अगस्त 2016 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. Road Safety Audit का Execution एवं Implementation का कार्य संबंधित उपभाग/निगम अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे एवं उसका समन्वय मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरुपण संगठन सह प्रभारी, Road Safety Cell द्वारा किया जायेगा।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०/–
सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांकः– पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी मुख्य अभियंता/प्रबंध निदेशक, BRPNNL/मुख्य महाप्रबंधक, BSRDCL/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

ह०/–
मुख्य अभियंता,
केन्द्रीय निरूपण संगठन
सह प्रभारी, Road Safety Cell
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–के०नि०सं०–27/बैठक(सड़कसुरक्षा)–33/15 - 642 (अनु०) पटना, दिनांकः- 26/7/16

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को एक अदद CD के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इसे विभागीय बेवसाइड पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

अनु०:यथोक्त।

26.7.16

मुख्य अभियंता,
केन्द्रीय निरूपण संगठन
सह प्रभारी, Road Safety Cell
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना